निविदा की शर्तें एवं नियम (Terms & Conditions)

1. निवेदक को निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्योग आधार (UDYAM), जीएसटी पंजीयन, गुणवत्ता, ई.एफ.टी. प्रमाणपत्र, पिछले छह माह की GSTR-3B प्रतिलिपियाँ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. निवेदक का औसत वार्षिक टर्नओवर ₹ 75 Lakh (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) होना आवश्यक है तथा सीए प्रमाणित टर्नओवर रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निवेदक के पास किसी भी सरकारी विभाग से प्राप्त ₹10 लाख या उससे अधिक राशि वाले कम से कम तीन (03) सप्लाई ऑर्डर होना आवश्यक है।

4. पात्रता हेतु ISO 9001:2015 एवं ISO 50001:2018 प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. ₹100 के स्टांप पेपर पर यह घोषित करते हुए शपथ-पत्र देना होगा कि निवेदक किसी परिसमापन प्रक्रिया में नहीं है तथा न ही किसी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है।

6. निवेदक को ₹15,000/- की ईएमडी (Earnest Money Deposit) जमा करनी होगी।

7. ईएमडी एफडीआर (FDR) के रूप में भी दी जा सकती है, जिसकी स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना एवं हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. ईएमडी निविदा प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

9. सामग्री की मात्रा अनुमानित कुल मात्रा से ±30% तक परिवर्तित हो सकती है।

10. सभी सामग्री निविदा में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देशों (Specifications) के अनुसार ही प्रदान की जानी चाहिए।

11. आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के भीतर समस्त सामग्री की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12. यदि अतिरिक्त कार्य उत्पन्न होता है, तो निवेदक को विभाग द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अपनी लागत से आपूर्ति करनी होगी।

13. निवेदक को सभी कर, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एवं अन्य सभी प्रकार के खर्च सहित कुल मूल्य (All Inclusive Price) कोट करना होगा।

14. विभाग किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय वहन नहीं करेगा।

15. सभी दस्तावेज कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

16. निवेदक को निविदा से संबंधित सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

17. निविदा समाप्ति तिथि के तीन दिवस पूर्व निवेदक को अपना नमूना (Sample) पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रायसेन में प्रस्तुत करना होगा तथा प्राप्ति रसीद (पावती) की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18. निवेदक को अपने लेटरहेड पर वैध मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करना अनिवार्य होगा, जिससे विभाग संपर्क कर सके।

19. निवेदक को सहमति पत्र देना होगा कि उसने स्थल का निरीक्षण कर लिया है तथा सामग्री आपूर्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

20. संबंधित विभाग को निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

21. सभी शर्तें ₹100 के स्टांप पेपर पर दर्ज मानी जाएंगी, जिन पर निवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा वह सभी शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा।

22. सेवा मैट्रिक्स के अंतर्गत संपर्क नंबर एवं ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

23. किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार पुलिस अधीक्षक, रायसेन के पास सुरक्षित है।

24. यह निविदा मार्च 2027 तक की अवधि के लिए आमंत्रित की गई है।

25. निर्धारित समय में आपूर्ति न होने पर विलंब के लिए पेनल्टी लगाई जाएगी।

26. सामग्री की गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा की जाएगी, मानक अनुसार न होने पर सामग्री अस्वीकृत की जा सकती है।

27. भुगतान सामग्री की पूर्ण आपूर्ति एवं सत्यापन के बाद निर्धारित समय में किया जाएगा।

29. नियमों का उल्लंघन होने पर विभाग अनुबंध समाप्त कर सकता है।

30. किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन का अंमित निर्णय मान्य होगा।

31. विभाग द्वारा सामग्री का क्रय केवल आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में निवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा विभाग सामग्री क्रय करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

32. निविदा में प्रस्तुत किए गए दर वर्ष 2026-27 तक मान्य रहेंगे तथा यह केवल मध्य प्रदेश राज्य के निविदाकर्ताओं के लिए मान्य रहेगी।

33. निवेदक के पास मल्टीफंकशन मशीन का MAF प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by KAMLESH KUMAR KHARPUSE
Date: 2026.05.12 11:22:37 IST
Location: Madhya Pradesh-MP